

डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, की अध्यक्षता में दिनांक-11.05.2018 (शुक्रवार) को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 46वीं बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति - बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे : -

क्र०सं०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पदनाम	उपस्थिति
1.	डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र	सभापति	उपस्थित
2.	श्री अखिलेश वाजपेयी, उप-सचिव, वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, रांची	पदेन-सदस्य	उपस्थित
3.	श्री सुरेन्द्र दास, अवर सचिव,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य	पदेन-सदस्य के मनोनीत सदस्य	उपस्थित
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण, (से० नि० प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय)	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय	सदस्य	अनुपस्थित (दूरभाष से प्रार्थित अनुपस्थिति, तदनुसार स्वीकृत)
7.	श्री अंजनी कुमार पाठक, प्रभारी प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट	सदस्य-सचिव	उपस्थित

2. कार्यसूची की मद संख्या : 01- विगत 45वीं बैठक, दिनांक-25.04.2018 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

3. कार्यसूची की मद संख्या : 02- विगत 45वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया। तदनुसार, निम्नलिखित विन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समर्पित प्रतिवेदनों की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

कृष्ण कुमार नाग
18. 5. 2018

(क) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक : 02(इ) विभिन्न आश्रमों/भवनों के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार कार्य कार्यपालक अभियन्ता के आश्वासनों के बावजूद समय पर संतोषप्रद रूप में नहीं हो पाए हैं। इनके विषय में गठित एक आन्तरिक जांच समिति, सभी बिन्दुओं की जांच कर सभापति, कार्यकारिणी समिति को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई थी। इसके संयोजक प्राचार्य सह-सदस्य सचिव ही थे।

जांच समिति में तीन सदस्य थे (क) श्री सच्चिदानन्द ठाकुर, पूर्व मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार (ख) प्राचार्य सह-सदस्य सचिव (जांच समिति के संयोजक) तथा (ग) उपायुक्त लोहरदगा (सदस्य सामान्य निकाय, ने.वि.स.) के द्वारा मनोनीत एक सिविल इंजीनियर।

इसके अनुपालन प्रतिवेदन में यह उल्लेख आया है कि "..... इसमें लोहरदगा जिला के इंजीनियर या अधिकारी संलग्न नहीं होना चाहते।"

नवनिर्माण/जीर्णोद्धार कार्य संतोषप्रद नहीं हों, यह कतई उचित नहीं है। इनकी जांच आवश्यक है और बालकों को संतोषप्रद सुविधा उपलब्ध कराना समिति का कर्तव्य है। अतः (1) श्री सच्चिदानन्द ठाकुर (2) प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट (3) आर्किटेक्ट श्री रीमांशु हिरानी के प्रतिनिधि यथाशीघ्र कार्य करने वाले ठीकेदार तथा अभियन्ता को बुलाकर, दिखाकर, जांच कर यथाशीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ख) कार्यसूची की मद सं. 08 : प्रवेश परीक्षा 2018-19 कैलेंडर को स्वीकृत किया गया। विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जाय तथा निर्धारित तिथियों में ही कार्य सम्पन्न किए जा सकें इसके लिए प्रत्येक चरण के कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न किए जा सकें, इस हेतु ससमय उनकी पूरी तैयारियां करते रहें।

(ग) कार्यसूची की मद सं. 11 : विद्यालय के वेबसाईट के बारे में Kreative Monk द्वारा प्राचार्य को दिये गये पत्र के विषय में प्राचार्य को निदेश दिया गया कि उनके पत्र का युक्ति संगत जवाब बनाकर भेज दें। एक जगह उन्होंने लिखा है " I had passed on the project to Ms. Computer Ed, represented by Shri Rakesh Mathur" दूसरी जगह उन्होंने लिखा है. ".....by my associate Shri Rakesh Mathur." इनका स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें पूछा जाय कि उन्हें अपनी जगह दूसरी संस्था को काम कराने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? जबकि Shri Rakesh Mathur की कम्पनी ने भी टेन्डर भरा था और वह राशि इनकी राशि की तुलना में संभवतः अत्यन्त कम थी? "Penalties, if any, are not mentioned in our work order nor were discussed during the initial processing of EOI." इस विषय में पूर्व प्राचार्य श्री विन्ध्याचल पाण्डेय जी से जानकारी ले ली जाय। क्या पूर्व प्राचार्य श्री पाण्डेय जी के द्वारा दिए गए पत्र, जिसमें उन्होंने अर्थदण्ड का जिक्र किया था, उसका कोई जबाब उन्होंने दिया था? उक्त सभी तथ्यों को

कृष्ण कुमार राव
18.5.18

समाहित करते हुए प्राचार्य को Kreative Monk के श्री भूषण कुमार को पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

4. कार्यसूची की मद संख्या : 03

सामान्य निकाय द्वारा गठित नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली में कतिपय संशोधन हेतु गठित संशोधन-समिति के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। नेतरहाट विद्यालय के प्रगति पथ पर संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, और इसके सभी सम्बद्ध पक्ष खुशहाल होकर कार्य कर सकें, इन बातों का ध्यान रखते हुए दोनों ही नियमावलियों (2010 और 2012) में कतिपय आंशिक संशोधनों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

5. कार्यसूची की मद संख्या : 04


दिनांक 23 मई 2018 को सामान्य निकाय की प्रस्तावित बैठक के लिए कार्यकारिणी समिति ने निम्नलिखित विन्दुओं को समाहित करने का अनुरोध अध्यक्ष-सह-माननीया मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सर्वसम्मति से किया :

1. नियमावली अधिसूचना सं. 9 नवम्बर, 2010 एवं 4 फरवरी, 2012 में आवश्यक संशोधन पर विचार-विमर्श।
2. प्रशासी विभाग द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय को CBSE से सम्बद्धता दिए जाने के विषय में चर्चा एवं निर्णय।
3. नेतरहाट विद्यालय में वाणिज्य संकाय की पढ़ाई प्रारम्भ किए जाने सम्बन्धी विचार-विमर्श एवं निर्णय।
4. नेतरहाट विद्यालय में Robotics & Artificial Intelligence की व्यवस्था प्रारम्भ किए जाने सम्बन्धी विचार-विमर्श एवं निर्णय।
5. विद्यालय के छात्रों के लिए शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण (Educational & Historical Tours) कराने की व्यवस्था पर विचार-विमर्श।
6. विद्यालय के शिक्षकों को बारी-बारी से देश के प्रख्यात् पब्लिक स्कूलों के भ्रमण एवं अध्ययन-उन्नयन हेतु (Refresher/Orientation Courses etc.) उपयुक्त संस्थानों में प्रतिनियुक्त कराने की व्यवस्था पर विचार-विमर्श।
7. नेतरहाट विद्यालय में गुरुकुल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष में एक बार मातृ-पितृ पूजन संस्कार के आयोजन पर चर्चा।

भूषण कुमार नाग
18.5.18

8. सामान्य निकाय एवं कार्यकारिणी समिति के राज्य से बाहर निवास करने वाले सदस्यों को समय-समय पर आहूत बैठकों में सम्मिलित होने हेतु उनके द्वारा हवाई-यात्रा विपत्र भुगतान करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श एवं निर्णय।
9. सामान्य निकाय एवं कार्यकारिणी समिति के अवैतनिक सदस्यों को अपनी बैठकों में उपस्थिति हेतु पूर्व निर्धारित मानदेय की सम्पुष्टि।
10. सामान्य निकाय एवं कार्यकारिणी समिति के अवैतनिक सदस्यों को उप-समितियों की बैठकों में उपस्थिति हेतु तथा समय-समय पर सामान्य निकाय के अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी समिति के सभापति द्वारा प्रेषित/आमंत्रित विशेषज्ञों को नेतरहाट विद्यालय के छात्रों-शिक्षकों के प्रशिक्षण-व्याख्यान हेतु पूर्व निर्धारित मानदेय की सम्पुष्टि।
11. नेतरहाट विद्यालय की परिसम्पत्ति- शैले के हस्तान्तरण, तथा सम्पूर्ण जमीन की चहारदीवारी के सम्बन्ध में विचार-विमर्श एवं निर्णय।
12. नेतरहाट विद्यालय के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार के पद सृजन सम्बन्धी विचार-विमर्श।
13. श्री प्रयाग दूबे, पूर्व विशेष कार्य पदाधिकारी के अधिक भुगतान सम्बन्धी विषय पर विचार-विमर्श।
14. नेतरहाट विद्यालय के सभी पुराने भवन (शिक्षक-आवास, पदाधिकारी-आवास, कर्मचारी-आवास) जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके मरम्मत के सम्बन्ध में तथा जो जीर्णोद्धार कार्य हुए हैं उनमें कतिपय असंतोषजनक स्थिति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।
15. अन्यान्य - अध्यक्ष की अनुमति से।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।



(कृष्ण कुमार नाग) 18.5.18

सभापति

कार्यकारिणी समिति

नेतरहाट विद्यालय समिति।